

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल



क्रमांक 589 /पी.एस/श्रम/ 2018

भोपाल दिनांक 29/05/18

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 के संबध में दिशा निर्देश ।

-00-

प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके हित संवर्धन के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 लागू करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार म.प्र. शासन, श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 लागू की जाती है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018

1. योजना का नाम -

यह योजना मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 कहलाएगी।

2. प्रभावशीलता -

यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगी।

3. परिभाषा -

- 3.1 "असंगठित श्रमिक" से आशय उस व्यक्ति से है, जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में नियोजन, वेतन हेतु कार्य, किसी ऐसे कार्य में नियोजन जो किसी एजेन्सी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हों, जिन्हें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता हो, तथा
1. जिसके पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो
 2. जो शासकीय सेवा में नहीं हो
 3. जो आयकर दाता नहीं हो।
- 3.2 "हितग्राही" से आशय ऐसे असंगठित श्रमिक से है, जिसे मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
- 3.3 "परिवार" से आशय असंगठित श्रमिक के परिवार के निम्न सदस्यों से है-
- i. पत्नी / पति (यथास्थिति),
 - ii. आश्रित पुत्र / पुत्री
- 3.4 "उत्तराधिकारी" से आशय असंगठित श्रमिक के -
- i. पत्नी / पति (यथास्थिति अनुसार),
 - ii. पुत्र एवं पुत्रियां (पति पत्नी नहीं होने की स्थिति में)
 - iii. माता एवं पिता (पति पत्नी, पुत्र-पुत्री के नहीं होने की स्थिति में)
 - iv. भाई एवं बहन (पति-पत्नी, पुत्र एवं माता पिता के नहीं होने की स्थिति में)
- 3.5 "स्थायी अपंग" से आशय दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि से है।
- 3.6 "आंशिक स्थायी अपंग" से आशय एक आंख या एक हाथ या एक पैर की हानि से है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा निम्नानुसार योजनायें संचालित की जावेंगी :-

4 - अंत्येष्टि सहायता-

पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक का उत्तराधिकारी, ऐसे श्रमिक की मृत्यु के तुरंत पश्चात् अंत्येष्टि के लिये 5 हजार की सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

5 - आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया :-

5.1 ग्राम में अथवा शहर में किसी पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु की सूचना, आवेदन अथवा अन्यथा, प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव/नगरीय क्षेत्र में अधिकृत अधिकारी

- तत्काल पीडित परिवार से सम्पर्क कर उन्हें अंत्येष्टि सहायता राशि का नगद भुगतान करेगा। किसी आवेदन-पत्र की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी।
- 5.2 राज्यस्तर पर योजना के नोडल बैंक खाते से प्रति ग्राम पंचायत रूपये 10 हजार की राशि पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के खाते में अंतरित की जायेगी। अंत्येष्टि सहायता राशि का संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव अग्रिम आहरण कर सकेगा। यह राशि उसके पास स्थायी अग्रिम के रूप में रह सकेगी।
- 5.3 इसी प्रकार नगर परिषद को रूपये 50 हजार, नगर पालिका को रूपये 1 लाख, ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर एवं भोपाल नगर निगम को रूपये 5 लाख, शेष नगर निगमों को रूपये 2 लाख की अग्रिम राशि राज्यस्तरीय नोडल बैंक खाते से प्रदाय की जायेगी।
- 5.4 ग्राम पंचायत का सचिव/नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी नगद भुगतान करने के लिये अपने पास सदैव न्यूनतम रूपये 10 हजार की राशि नगद रखेगा। वह असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को रूपये 5 हजार की राशि का भुगतान करेगा। संबंधित सचिव/नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी द्वारा राशि के भुगतान का पंचनामा बनाया जावेगा। पंचनामा में मृतक का नाम, उसका जीवित/पूर्व का पंजीयन क्रमांक, मृत्यु दिनांक आदि का उल्लेख किया जायेगा। पंचनामा में मृतक के उत्तराधिकारी जिसने राशि प्राप्त की है, परिवार के एक अन्य सदस्य, एक पड़ोसी तथा ग्राम के सरपंच/पंच/निगरानी समिति के किसी एक सदस्य के हस्ताक्षर लिये जायेंगे। पंचनामे पर जिनके हस्ताक्षर लिये जावेंगे उनके नाम एवं मोबाईल नम्बर अगर उपलब्ध हो तो अवश्य दर्ज किए जावे। पंचनामा का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर है।
- 5.5 अंत्येष्टि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये मृतक असंगठित श्रमिक की आयु का कोई बंधन नहीं होगा।
- 5.6 ग्राम पंचायत सचिव/नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी पंचनामों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को प्रेषित करेगा, जो आवश्यक परीक्षण उपरांत पंचनामे को पोर्टल पर अपलोड कर स्वीकृति जारी करेगा। स्वीकृति जारी होने पर पूर्व में दी गई अग्रिम राशि में से भुगतान की गई राशि का समायोजन हो जाएगा।
- 5.7 उपरोक्तानुसार समायोजित राशि के समतुल्य राशि संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय के खाते में अंतरित हो जायेगी जिसका संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी पुनः नगद आहरण कर सकेगा ताकि उसके पास स्थायी अग्रिम के रूप में न्यूनतम 10 हजार रु की राशि पुनः उपलब्ध हो जावे।
- 5.8 पदाभिहित अधिकारी इस योजना की स्वीकृति जारी करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत कर सकेगा।

5. पदाभिहित अधिकारी (i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
(ii) नगरीय निकाय हेतु आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी।



6. अनुग्रह सहायता योजना -

इस योजना के तहत पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक के स्थायी अपंग/आंशिक स्थायी अपंग/मृत होने की दशा में उसको/उसके उत्तराधिकारी को (यथास्थिति अनुसार) पदाभिहित अधिकारी द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि भुगतान की जावेगी:-

i. स्थायी अपंगता पर	रु. 2,00,000 (रु. दो लाख)
ii. आंशिक स्थायी अपंगता पर	रु. 1,00,000 (रु. एक लाख)
iii. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000 (रु. चार लाख)
iv. सामान्य मृत्यु पर	रु. 2,00,000 (रु. दो लाख)

7. अनुग्रह राशि के लिए अपात्रता-

- 7.1 पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक के आत्महत्या के प्रकरणों में इस योजना का लाभ उत्तराधिकारी को प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
- 7.2 यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु अथवा दुर्घटना दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो उसको / उत्तराधिकारी को अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होगी।

8. आवेदन करने का स्थान-

- पदाभिहित अधिकारी का कार्यालय
- ग्राम पंचायत कार्यालय
- नगरीय क्षेत्रों में पदाभिहित अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु घोषित कार्यालय।

9. आवेदन तथा भुगतान करने की प्रक्रिया-

(अ) अपंगता की स्थिति में-

9.अ.1 अपंगता की स्थिति में आवेदक सादे कागज पर पदाभिहित अधिकारी को संबोधित आवेदन पत्र कंडिका 8 में उल्लेखित किसी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। ऐसे आवेदन पत्र में वह निम्न जानकारी का अनिवार्यतः उल्लेख करेगा:-

- आवेदक का नाम
- असंगठित श्रमिक का जीवित पंजीयन क्रमांक
- घटना का विवरण एवं दिनांक जिसके कारण अपंगता हुई
- बैंक खाता विवरण (खाता क्रमांक, शाखा का नाम एवं पता, आईएफएससी कोड) जिसमें अनुग्रह राशि जमा की जाना अपेक्षित हो
- प्रभावित पंजीकृत श्रमिक का आधार नंबर

(vi) मोबाईल नंबर यदि उपलब्ध हो

(vii) आवेदन पत्र में आवेदक की ऐसी स्व-घोषणा कि वह सही जानकारी प्रस्तुत कर रहा है।

9.अ.2 ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा:-

- शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल के चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिससे यह स्पष्ट हो कि आवेदक कंडिका-3 (5) एवं 3 (6) में दी गई परिभाषा के अनुसार स्थायी अपंग अथवा आंशिक स्थायी अपंग है।
- कोई ऐसा साक्ष्य जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह दिनांक 01.04.2018 के पश्चात अपंग हुआ है। इस संबंध में मौखिक साक्ष्य भी स्वीकार्य होगा।

नोट- स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत परिभाषित स्थायी अपंगता/आंशिक स्थायी अपंगता के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपरोक्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को अधिकृत किया गया है।

9.अ.3 उपरोक्तानुसार परीक्षण के उपरान्त पदाभिहित अधिकारी अनुग्रह राशि स्वीकृत कर पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में भुगतान करेगा।

9.ब श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में:-

9.ब.1 मृत पंजीबद्ध श्रमिक का उत्तराधिकारी, अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर पदाभिहित अधिकारी को संबोधित आवेदन पत्र कंडिका-8 में उल्लेखित किसी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे आवेदन पत्र में वह निम्न जानकारी का अनिवार्यतः उल्लेख करेगा:-

- आवेदक का नाम
- मृतक का नाम तथा उसका पंजीयन क्रमांक
- मृत्यु दिनांक तथा उस घटनाक्रम का विवरण जिसके कारण मृत्यु हुई
- प्रभावित पंजीकृत श्रमिक का आधार नंबर
- मृतक के सभी उत्तराधिकारियों का विवरण (नाम, पता, मोबाईल नम्बर)
- आवेदन पत्र में आवेदक की ऐसी स्व-घोषणा कि वह सही जानकारी प्रस्तुत कर रहा है तथा मृतक की मृत्यु का कारण आत्महत्या नहीं है

9.ब.2 उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा:-

- दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में पुलिस की FIR
- मृत्यु प्रमाण पत्र

- iii कोई ऐसा साक्ष्य जिससे मृत्यु के कारण स्पष्ट हो सके, ताकि यह विनिश्चय किया जा सके कि यह सामान्य मृत्यु है अथवा दुर्घटना में हुई मृत्यु का प्रकरण है। इस संबंध में मौखिक साक्ष्य भी स्वीकार्य होगा।

9.ब.3 उपरोक्तानुसार परीक्षण के उपरान्त पदाभिहित अधिकारी अनुग्रह राशि स्वीकृत कर पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में भुगतान करेगा।

- i. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र का अंतिम निराकरण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।
- ii. पोर्टल पर राशि के भुगतान करने के साथ-साथ स्वीकृति /अस्वीकृति पत्र भी पोर्टल से ही जारी होगा जिसे आवेदक को तामील किया जाए।

10. परिशिष्ट-2 पर विभिन्न विभागों के द्वारा अपनी योजनाओं में विभिन्न वर्गों के लिये अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के साथ-साथ अन्य किसी योजना का लाभ प्राप्त करने की कोशिश करे। ऐसी स्थिति में पदाभिहित अधिकारी अनुग्रह राशि स्वीकृत करने से पूर्व आवेदक से यह स्वघोषणा प्राप्त करेगा कि उसने जिस घटना के आधार पर अपंगता/मृत्यु से संबंधित अनुग्रह राशि प्राप्त की है, उसी घटना के आधार पर उसने किसी अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत न तो कोई अनुग्रह राशि प्राप्त की है न भविष्य में करेगा, अगर वह ऐसी स्व-घोषणा देने से इंकार करता है तो उसे इस योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

10.1 किसी बीमा योजना के अन्तर्गत अगर किसी आवेदक को अपंगता या मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी को बीमा राशि प्राप्त हुई हो तो उसे इस योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

11. पदाभिहित अधिकारी -

- (i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु -मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- (ii) नगरीय निकाय हेतु -आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी

12 - उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना -

योजना का विवरण एवं पात्रता -

पंजीकृत असंगठित श्रमिक को उनके व्यवसाय की उन्नति हेतु जिस संवर्ग का श्रमिक है यदि उसी संवर्ग के लिये उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है, तो प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 05 हजार जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय होगा।

- 12.1 अनुदान का यह लाभ पंजीबद्ध श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र तक एक बार प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 12.2 अनुदान का भुगतान उसी श्रमिक को किया जायेगा, जिसने बैंक से परिशिष्ट-3 के कॉलम-3 में उल्लेखित उपकरण लेने के लिये ऋण लिया हो तथा ऐसा ऋण 01.04.2018 के पश्चात उसे वितरित किया गया हो। साथ ही वह उपकरण भी प्राप्त कर चुका हो।
- 12.3 संबंधित आवेदक श्रमिक को बैंक से ऋण प्राप्ति के अतिरिक्त राज्य की किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त न हुआ हो।
- 12.4 अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदक श्रमिक को परिशिष्ट-4 अनुसार प्रारूप में बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही क्रय किये उपकरणों के बिल की प्रति संलग्न की जावेगी।

13- आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया :-

13.1 पंजीकृत श्रमिक सादे कागज पर आवेदन नगरीय निकाय में आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु -मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन पत्र में वह निम्न जानकारी अनिवार्यतः देगा :-

- (i) आवेदक का नाम तथा पता
- (ii) असंगठित श्रमिक का पंजीयन क्रमांक
- (iii) बैंक का विवरण- बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा आईएफएससी कोड
- (iv) अनुदान की राशि जिसे प्राप्त करने के लिए वह पात्र है
- (v) पंजीकृत श्रमिक का आधार नंबर
- (vi) असंगठित श्रमिक का मोबाईल नम्बर
- (vii) किसी अन्य योजना से अनुदान प्राप्त नहीं होने का स्व-घोषणा पत्र

13.2 उक्त आवेदन पत्र के साथ वह परिशिष्ट-4 में बैंक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

13.3 पदाभिहित अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र की पोर्टल पर जांच करेगा, जिससे आवेदक की पात्रता के सम्बन्ध में विनिश्चय हो सके।

13.4 जांच में आवेदन पत्र सही पाये जाने पर परिशिष्ट-3 में दी गई तालिका के कॉलम-4 के अनुसार अनुदान की स्वीकृति की जाएगी। इस स्वीकृति के फलस्वरूप अनुदान राशि पोर्टल से सीधे आवेदक के खाते में अंतरित हो जाएगी।

13.5 पदाभिहित अधिकारी -

- i. नगरीय निकाय हेतु -आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी
- ii. ग्रामीण क्षेत्र हेतु -मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत


14- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग योजना

योजना का विवरण-

- 14.1 परिचय पत्रधारी असंगठित श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यों के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग/प्रशिक्षण हेतु अनुदान योजना होगी।
- 14.2 कोचिंग संस्थानों की अधोसंरचना, प्रशिक्षण संबंधी मापदण्ड, अभ्यर्थियों के चयन का मापदण्ड, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रचलित मापदण्डों के अनुसार होगा।

15 - योजना में हितलाभ का भुगतान-

1. यह अनुदान एक स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के लिये अधिकतम एक बार देय होगा।


(संजय दुबे)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

क्रमांक/ 590 /पी.एस./श्रम/2018/

भोपाल, दि. 29/05/18

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
4. सचिव, म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक कल्याण मण्डल, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

(पंचनामा)
(अंत्येष्टि सहायता)

1. मृतक का नाम/पिता का नाम/उम्र.....
2. मृत्यु का दिनांक एवं स्थान.....
3. मृतक का पंजीयन क्रमांक-(योजना का नाम एवं पंजीयन क्रमांक)
4. ग्राम / वार्ड का विवरण, जहां पर राशि वितरित की गई.....
5. जनपद/ नगरीय निकाय का विवरण, जिसके अन्तर्गत उपरोक्त ग्राम/ वार्ड आता है

सहायता राशि प्राप्तकर्ता का विवरण

क्र.	प्राप्तकर्ता का नाम (मोबाइल नं.)	पिता का नाम	उम्र	मृतक से संबंध	सहायता राशि

मैं राशि प्राप्तकर्ता घोषणा करता हूँ कि मैंने (मृतक का नाम) की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता योजना 2018 के अन्तर्गत किसी भी अन्य शासकीय योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया और ना प्राप्त करूंगा ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

.....

यह सत्यापित करते हैं कि पिता/ पति उम्र की मृत्यु दिनांक को (स्थान जहां मृत्यु हुई ग्राम /वार्ड) में हुई । अंत्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत (अधिकारी का नाम) द्वारा हमारे समक्ष रु; 5000 की सहायता राशि नगद प्रदान की गई ।

क्र.	उपस्थित व्यक्ति का विवरण	नाम	हस्ताक्षर	मोबाइल नं.
01	मृतक के परिवार का सदस्य (राशि प्राप्त कर्ता को छोड़कर)			
02	सरपंच/पंच/वार्ड पार्षद			
03	अन्य साक्षी			
04	अन्य साक्षी			

हस्ताक्षर

विवरणकर्ता अधिकारी का नाम

पदनाम

मोबाइल नं.

अनुग्रह सहायता योजना

क्र.	विभाग	योजना का नाम	अपंग/मृत्यु की दशा	सहायता राशि
1	श्रम विभाग	म.प्र. भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक मंडल	1. दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर	रु. 2,00,000/-
			2. सामान्य मृत्यु पर (i) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम होने पर (ii) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष अधिक होने पर	रु. 2,00,000/-
				रु. 1,00,000/-
			1. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
			2. स्थायी अपंगता पर	रु. 2,00,000/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 2,00,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
2	किसान कल्याण (मंडी बोर्ड)	मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2018	1. आंशिक स्थायी अपंगता पर	रु. 7,500/-
			2. स्थायी अपंगता पर	रु. 25,000/-
			3. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
3	किसान कल्याण (मंडीबोर्ड)	मुख्यमंत्री मंडी हम्माल म.प्र.हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना (आम आदमी बीमा योजना)	1. दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	रु. 75,000/-
			2. दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर	रु. 37,500/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 30,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 75,000/-

4	सामाजिक न्याय	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना (आम आदमी बीमा योजना)	1. दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	रु. 75,000/-
			2. दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर	रु. 37,500/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 30,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 75,000/-
5	राजस्व विभाग	RBC 6-4 के अन्तर्गत	1. दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	रु. 4,00,000/-
			2. प्राकृतिक आपदा के कारण 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर	रु. 59,100/-
			3. प्राकृतिक आपदा के कारण 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर	रु. 2,00,000/-
			4. नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक टरान्सपोर्ट के नदी या जलाशय में किरने या पहाड़ी आदि से खड्डे में किरने पर इन वाहनों में सवार वक्तियों को हाथ, पैर या दोनों आँखों जैसे महत्वपूर्ण अंग की हानि होन पर	रु. 25,000/-
6	वन विभाग	जन कल्याणकारी योजना	1. जन-हानि (मृत्यु) वन्य प्राणी (सांप, गुहेरा, जहरीले जन्तु को छोड कर) द्वारा हुई हो	रु. 4,00,000/-
			2. स्थायी अपंगता पर	रु. 2,00,000/-
7		मुख्यमंत्री तैदूपत्ता	1. आंशिक अपंगता पर	रु. 20,000/-

		संग्रहक कल्याण योजना	2. स्थायी अपंगता पर	रु. 50,000/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 10,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 2,00,000/-
8	गृह विभाग	सम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह सहायता	1. स्थायी असमर्थ	रु. 2,00,000/-
			2. अस्थायी असमर्थ	रु. 59,100/-
			3. साधारण घायल पर	रु. 25,000/-
			4. मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
9	ऊर्जा विभाग	दुर्घटनावश विद्युत करंट लगने पर आर्थिक सहायता	1. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
			2. 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर	रु. 59,100/-
			3. 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर	रु. 2,00,000/-

10.1 अनुसूची में क्रमांक 4 से क्रमांक 9 तक की योजनाएं वर्तमान योजना में समाहित की जाती हैं।

(अनुदान उपकरण) योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों के संवर्ग तथा देय उपकरण एवं

अनुदान राशि विवरण :-

क्र.	असंगठित श्रमिकों का संवर्ग	देय उपकरण	देय अनुदान राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सिलाई श्रमिक	सिलाई मशीन	उपकरण के लिये वितरित ऋण का 10 प्रतिशत अथवा रूपये 5000 दोनों में से जो कम हो
2	सफाई श्रमिक	गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रन	तदैव
3	पुरुष हम्माल	जूता, हुक	तदैव
4	महिला हम्माल	सूपा एवं टोकरी	तदैव
5	घरेलू कामगार	चप्पल, जूता, एप्रन	तदैव
6	फुटकर सब्जी, फल फूल विक्रेता	तराजू, वाट एवं टोकरी	तदैव
7	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक	छेनी, हथौडा, तगाडी, घन एवं जूता	तदैव
8	प्राईवेट सुरक्षा सेवा में नियोजित श्रमिक	जूता, बेल्ट एवं टार्च	तदैव
9	कारीगर शिल्पी जैसे लोहार, बढई, कुम्हार आदि कार्यों में लग श्रमिक	घन, हथोडा, हाथ से चलाकर लोहे को स्वरूप देने वाला उपकरण, आरी, हथोडी, रम्दा, राई, वसुला एवं चाक	तदैव
10	रैग पिकर्स	जूते, मास्क एवं बैग	तदैव

(उपकरण अनुदान)

अनुदान प्राप्त करने के लिये बैंक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रारूप

बैंक का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री को इस बैंक द्वारा

निम्न उपकरण क्रय करने के लिये रुपये का ऋण वितरण किया गया है -

1

2

3

यह कि श्री ने उक्त उपकरण क्रय कर लिये हैं। यह और भी कि इस ऋण प्रकरण में श्री को किसी भी योजना के अन्तर्गत कोई अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(हस्ताक्षर)

शाखा प्रबंधक का नाम

बैंक तथा शाखा का नाम

बैंक की सील